वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 248/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक-11.07.2025

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने के क्रम में आज दिनांक- 11.07.2025 को ***आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी है-***

01. थाना- कोतवाली: कूटरचित दस्तावेज के साथ धोखाधड़ी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना/इतिहास –

अवगत कराना है कि वादी जीजुर्हमान उर्फ बाबू पुत्र स्व अकील अहमद साकिन बदरका थाना कोतवाली जनपद आजमगढ कि लिखित सूचना पर कि हल्ला बदरका मौजा कोडर अजमतपुर में स्थित गाटा संख्या 98 में मुझ प्रार्थी की बुआ स्वर्गीय नूरसबा पत्नी स्व अब्दुल रहमान निवासी बदरका थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ ने अपना पूरा हिस्सा पैतीस कड़ी जमीन व मकान जरिये रजिस्टर्ड वसीयत 03/07/2019 को दिया तथा मेरी बुआ का निधन दिनाक 13/07/2022 को हो गया। प्रार्थी अपने हिस्से पर अपनी बुआ के जीवन काल से ही काबिज है तथा परिवार के साथ निवास करता चला आ रहा है। अपने जीवन काल में मेरी बुआ भी मेरे ही साथ रहती थीं, जिनकी बृद्धावस्था में सेवा व इलाज मेरे व मेरे परिवार द्वारा किया गया। उक्त सम्पति के बंटवारे का मुकदमा नंबर 1454/2022 अजीजुर्हमान बनाम इरफान माननीय न्यायालय सिविल जज अवर खण्ड शहर तथा न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट आजमगढ़ में वाद संख्या D-200181506XXXXX मकान में नामान्तरण के सम्बन्ध में दाखिल व प्रचलित है। ताजा वाकया यह है कि मेरे बुआ के देवर इरफान खान पुत्र स्व सलीम खान अपने पुत्र शाहिद खान पुत्र इरफान खान व बहू रुबीना खानम पत्नी मो शाहिद खान निवासी गण बदरका थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ के साथ एकराय होकर, मिलकर, नगर पालिका, परिषद से NOC प्राप्त किये बिना ही खतौनी और मूल बैनामें को छुपाकर फर्जी व कूटरचित दस्तावेज तैयार कर माननीय न्यायालय में चल रहे वाद को छुपाते हुए अपने हिस्से से अधिक की चौहद्दी दिखाकर, आबादी बताकर 70 कड़ी साजिशन अपनी बहू रुबीना खानम को हिब्बानामा कर दिया जबकि मौके पर इरफान खान का हिस्सा 35 कड़ी ही है तथा उक्त भूमि का खसरा खतौनी व दीगर अभिलेख मौजूद हैं और उक्त भूमि मिलजुमला खाते की जमीन है। इसी साजिश के तहत अपने बेटे शाहिद खान को हिब्बानामा का गवाह बना दिया है। इरफाना खान, शाहिद, रुबीना खानम द्वारा एकराय होकर किया गया यह कार्य गम्भीर अपराध की श्रेणी का है जिससे मुझ प्रार्थी की हकतलफी हो रही है। उक्त के सम्बन्ध में मु0अ0सं0-220/25 धारा-61(2)/318(4)/338/336(3) BNS दिनांक 12.5.2025 को पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण–

दिनांक- 11.07.2025 को उ0नि0 राजनारायण पाण्डेय, द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्ता रुबीना खानम पत्नी मो0 शाहिद खान व अभियुक्त मो0 शाहिद खान पुत्र इरफान खान निवासीगण मुहल्ला बदरका थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ को समय 12.15 बजे पुलिस हिरासत में लेकर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1.रुबीना खानम पत्नी मो0 शाहिद खान

2. मो0 शाहिद खान पुत्र इरफान खान निवासीगण मुहल्ला बदरका थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़

पंजीकृत अभियोग –

1- मु0अ0सं0- 220/25 धारा-61(2)/318(4)/338/336(3) BNS थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

1-उ0नि0 राजनारायण पाण्डेय , म0उ0नि0 स्मिता गुप्ता, थाना कोतवाली आजमगढ़

02. थाना-रौनापारः गुमशुदा हुयी 04 लड़कियों को बरामद कर परिजनों को किया गया सुपुर्द ।

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ द्वारा आपरेशन मुस्कान के तहत अभियान चलाकर अपहृत/गुमशुदा लोंगों की शीघ्र बरामदगी करने के निर्देश के क्रम में दिनांक- 08.07.2025 को गुमशुदा जिसकी गुमशुदगी थाना हाजा पर दिनांक 09.07.2025 को पंजीकृत कराया गया जिसमें 1. अंतिमा पुत्री श्री योगेन्द्र साहनी साकिन मानिकपुर थाना रौनापार आजमगढ़ उम्र करीब 20 वर्ष 2. करिश्मा पुत्री सत्यप्रकाश निवासी ग्राम मानिकपुर देवारा थाना रौनापार आजमगढ़ उम्र करीब 20 वर्ष 3. रंगोली पुत्री टुधुर साहनी निवासी ग्राम मानिकपुर देवारा थाना रौनापार आजमगढ़ उम्र करीब 20 वर्ष 4. आँचल पुत्री अमरजीत साहनी ग्राम मानिकपुर देवारा थाना रौनापार आजमगढ़ उम्र करीब 18 वर्ष को उ0नि0 सुरेन्द्र कुमार, उ0नि0 प्रशान्त पाण्डेय मय हमराह द्वारा बरामद किया गया। थाना स्थानीय पर पंजीकृत गुमशुदगी से सम्बन्धित गुमशुदा लड़कियों की बरामदगी हेतु सर्विलांस की सहायता की सहायता से आजमगढ़ भवरनाथ मन्दिर के पास से बरामद किया गया।

बरामद महिला का विवरणः-

1. अंतिमा पुत्री श्री योगेन्द्र साहनी साकिन मानिकपुर थाना रौनापार आजमगढ़ उम्र 20 वर्ष
2. करिश्मा पुत्री सत्यप्रकाश निवासी ग्राम मानिकपुर देवारा थाना रौनापार आजमगढ़ उम्र 20 वर्ष
3. रंगोली पुत्री टुधुर साहनी निवासी ग्राम मानिकपुर देवारा थाना रौनापार आजमगढ़ उम्र 20 वर्ष
4. आँचल पुत्री अमरजीत साहनी ग्राम मानिकपुर देवारा थाना रौनापार आजमगढ़ उम्र 18 वर्ष

बरामदगी करने वाली पुलिस टीमः-

1- उ0नि0 सुरेन्द्र कुमार थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।
2- उ0नि0 प्रशान्त पाण्डेय थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।
3- का0 राहुल कुमार थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।
4- म0का0 प्रज्ञा यादव थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।
5- म0का0 रागिनी सिंह थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।

03.थाना- बरदहः शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना/इतिहास–

दिनांक 21.06.25 को वादी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर सूचना दिया गया कि दिनाकं 19.06.2025 तो समय शाम करीब 5.00 बजे मेरी पुत्री उम्र करीब 15 वर्ष बिना बताये घर से कही चली गयी है। उक्त सूचना के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 176/25 धारा 137(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण–

दिनांक 11.07.25 को उ0नि0 उमेशचन्द्र यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में विवेचना से अपहृता व प्रकाश में आये अभियुक्त साहिल पुत्र नौशाद ग्राम खम्हौली थाना बरदह, आजमगढ़ को समय 10.00 बजे जिवली से गिरफ्तार किया गया। अपहृता के बयान व अन्य साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 65(1),87,89 बीएनएस व धारा 5(L) /6 पाक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

1-साहिल पुत्र नौशाद ग्राम खम्हौली थाना बरदह, आजमगढ़

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 176/2025 धारा 65(1),87,89,137(2) बीएनएस व धारा 5(L) /6 पाक्सो एक्ट

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

1. उ0नि0 उमेशचन्द्र यादव थाना बरदह जनपद आजमगढ़
2. का0 त्रिलोकनाथ पाण्डेय थाना बरदह जनपद आजमगढ़
3. म0आ0 प्रीती पटवा थाना बरदह, आजमगढ़

04.थाना- कोतवालीः चोरी की एक मोटरसाइकिल के साथ 03 अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना/इतिहास –

वादी तरुण जैन पुत्र विपिन जैन निवासी 1/124, सुहाग नगर फिरोजाबाद हालपता सरायमन्दराज HMPS स्कूल के सामने थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र कि मे GMR Kashi Smart Meters Limited में Divisional Incharge के पद पर तैनात हूँ अतः आपको अवगत कराना है कि कल दिनांक 05 जुलाई 2025, 09.20 AM से 1.00PM के बीच मे Office Parking से मेरी बाइक चोरी हो गयी। इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर दि. 7.7.25 को मु0अ0सं0- 306/25 धारा 303(2) BNS पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण–

दिनांक- 10.07.2025 को उ0नि0 सौरभ त्रिपाठी, उ0नि0 अभिषेक कुशवाहा, मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित प्रकाश में आये अभियुक्त 1.प्रदीप यादव पुत्र रामआसरे यादव निवासी चढई थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 24 वर्ष, 2. विकास कुमार पुत्र हरिश्चन्द्र निवासी रघुनाथपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 20 वर्ष 3. अभिषेक कुमार पुत्र महेन्द्र कुमार निवासी कसबा सराय खुजिहा मोड थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 26 वर्ष को समय करीब 21.45 बजे ठण्डी सड़क के ऊपर बंधे वाली रोड से नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया तथा कब्जे से एक अदद चोरी की मोटरसाईकिल बरामद हुआ। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1.प्रदीप यादव पुत्र रामआसरे यादव निवासी चढई थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 24 वर्ष,

2. विकास कुमार पुत्र हरिश्चन्द्र निवासी रघुनाथपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 20 वर्ष

3. अभिषेक कुमार पुत्र महेन्द्र कुमार निवासी कसबा सराय खुजिहा मोड थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 26 वर्ष

बरामदगी का विवरणः-

1-चोरी की एक अदद चोरी की मोटरसाईकिल बरामद

पंजीकृत अभियोग –

1-मु0अ0सं0- 306/25 धारा 303(2) BNS थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

1-उ0नि0 सौरभ त्रिपाठी, उ0नि0 अभिषेक कुशवाहा, हे0कां0 सर्वेश विक्रम, कां0 बसन्तलाल, कां0 अभय कुमार सिंह थाना कोतवाली आजमगढ़

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 11.07.2025, जनपद आजमगढ़

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 04 आरोपी अभियुक्तगण को मा0 न्यायालय द्वारा गैर इरादतन हत्या के आरोप में दोषी करार देते हुए **प्रत्येक को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास व 130500 रुपये के अर्थदण्ड** से दण्डित किया गया।

थाना अतरौलिया: गैर इरादतन हत्या के 04 आरोपी अभियुक्तों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास व 1,30,500/- रुपये के अर्थदण्ड।

➡ दिनांक- 28.06.2018 को वादी मुकदमा मिथलेश वर्मा पुत्र चन्द्रकान्त निवासी अटहरा थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ ने थाने पर लिखित तहरीर दी कि दिनांक- 27.06.2018 को अभियुक्तगण 1. घनश्याम वर्मा पुत्र पराग वर्मा 2. संगम वर्मा पुत्र पराग वर्मा निवासीगण अटहरा थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ 3. बृजेन्द्र वर्मा पुत्र किशुनराज निवासी किमामपुर थाना राजेसुल्तानपुर जनपद अम्बेडकर नगर 4. प्रमोद वर्मा पुत्र विक्रम वर्मा निवासी वहतियावार थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ ने वादी के माताजी प्रभावती देवी को जान से मारने की नीयत से कुल्हाड़ी व भाले से मार कर घायल कर देना जिससे इलाज के दौरान मृत्यु हो जाना।

➡ अभियुक्तो के विरूद्ध थाना अतरौलिया पर मु0अ0सं0- 141/2018 धारा-324,307,304, 352,504,34 भादवि पंजीकृत किया गया।

➡ अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

➡ मुकदमा उपरोक्त में 11 गवाह परीक्षित हुए है।

➡ जिसके क्रम में दिनांक- 11.07.2025 को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/FTC-2 कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1.घनश्याम वर्मा पुत्र पराग वर्मा 2. संगम वर्मा पुत्र पराग वर्मा निवासीगण अटहरा थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ 3. बृजेन्द्र वर्मा पुत्र किशुनराज निवासी किमामपुर थाना राजेसुल्तानपुर जनपद अम्बेडकर नगर 4. प्रमोद वर्मा पुत्र विक्रम वर्मा निवासी वहतियावार थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ **को दोषसिद्ध पाते हुए प्रत्येक को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास व 1,30,500/- रुपये के अर्थदण्ड** से दण्डित किया गया।